न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 44/2019/अपील

1 जुगल किशोर
2 कमल कुमार
} पुत्रगण बनवारीलाल समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम बाहमणवास तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.04.2019 मु.न. 45/2019 अनुवानी सरकार बनाम जुगल किशोर द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला

वकील अपीलांट श्री बनवारीलाल बरवड़

निर्णय

दिनांकः–28.06.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दुधवालों का बास द्वारा रिपोर्ट अंतर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट 1956 इस आशय की पेश की गई कि भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म चारागाह मे से रकबा 0.04 हैक्टर पर अपीलान्ट अप्रार्थीगण जुगल किशोर व कमल कुमार पुत्रगण बनवारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी बाहमणवास ने पुख्ता मकान, टीनशेड मय चारदीवारी अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया और दिनांक 08.04.2019 तारीख पेशी नियत की गई, जिस दिन राजकीय अवकाश था। राजकीय अवकाश होते हुए भी अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.04.2019 को पत्रावली को तारीख पेशी में ली गई, दिनांक 09.04.2019 को ही अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस प्रस्तुत कर दिया गया, और पत्रावली दिनांक 15.04.2019 को नियत कर दी गई। अपीलान्ट द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायायल में दिनांक 09.04.2019 को यह आवदेन दिया गया कि उक्त भूखण्ड के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद व टीआई विचाराधीन है तथा पट्टा व अन्य दस्तावेज भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स की साक्ष्य लिये बिना ही दिनांक 15.04.2019 को बिना अपीलान्ट्स को सुने व बिना बहस किये ही मनमाने रूप से निर्णय पारित करके यह आदेश पारित किया गया कि खसरा नम्बर 128 तन ग्राम बामनवास में से अतिक्रमित रकबा 0.04 है0 में से अपीलान्ट को बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.06 रू. का 50 गुणा यानी 3 रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अपीलान्ट के पुख्ता मकानात पट्टाशुदा भूखण्ड खसरा नम्बर 127 में अवस्थित है। इसके बावजुद भी उक्त गलत आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट्स को सही सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट ने जवाब नोटिस के साथ–साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया तथा मनमाने रूप से तारिख पेशी नियत कर बिना किसी बहस के ही एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया। प्रस्तुत भूमि जो चारागाह बता रहे है वह भूमि चारागाह नही है। जिसमें अपीलान्ट के पिता के नाम से पट्टा जारी किया हुआ है, जिसका पट्टा संख्या 2254 कमांक 26 दिनांक 21.10.2009 को ग्राम पंचायत दुधवालोकाबास के संकल्प संख्या 2 के आधार पर रूपेण बाद जांच बनवाया हुआ है। उक्त पट्टा से पूर्व स्वयं तहसीलदार खण्डेला सीकर व पटवारी हल्का गिरदावर हल्का आदि से मौका जांच रिपोर्ट ली जाकर पट्टाधारी श्री बनवारीलाल के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई है। उक्त पट्टा उप पंजीयक खण्डेला सीकर द्वारा विधिवत रूपेण रजिस्टर्ड भी किया हुआ है। अपीलान्ट के रजिस्टर्ड पट्टाशुदा परिसर को कथित रूप से भूमि खसरा 128 में अतिक्रमण होना दर्ज कर मिथ्या व गलत नोटिस जारी किया गया है। प्रस्तुत पट्टे को लेकर व विवादित भूखण्ड को लेकर माननीय अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय श्रीमाधोपुर सीकर में भी एक अपील प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें 09.04.2019 के बाद आगामी तारीख पेशी दी जा चुकी है। व प्रकरण सबजूडिस है। ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वास गलत रूप से बिना किसी जांच के ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करके मनमाना रूप से निर्णय पारीत किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 15.04.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट निर्धारित तारिख पेशी पर सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जवाब नोटिस पेश कर जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीगण के पुख्ता मकान मय नोहरा बाड़ा ग्राम बामनवास में कदीम से बने हुये है। उक्त सम्पदा का पट्टा प्रार्थीगण के स्व0 पिता बनवारीलाल के नाम से पट्टा संख्या 2554 कमांक 26 दिनांक 21.10.2009 को ग्राम पंचायत दूधवालों का बास के संकल्प संख्या 2 के द्वारा जारी किया हुआ है। उक्त पट्टा उपपंजियक खण्डेला द्वारा विधिवत रूप से रजिस्टर्ड भी किया हुआ है। प्रार्थीगण के विरूद्व गलत जांच रिपोर्ट बनाई जाकर रजिस्टर्ड पट्टा शुदा परिसर को कथित रूप से भूमि खसरा नम्बर 128 में अतिक्रमण होना दर्ज कर गलत नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थीगण के अपने जवाब को सिद्व करने के लिए मुख्य रूप से दस्तावेजों की आवश्यकता है एवं दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए समयावधी की आवश्यकता है। प्रार्थी इस सम्बंध में पुराने रेकार्ड भी लेने की आवश्यकता है। इस हेतु समयावधी प्रदान करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.04.2019 को उक्त जवाब प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी तारीख 15.04.2019 अंकित की गई। इस कारण योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को अपने पक्ष में दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिया गया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम बामनवास के खसरा नम्बर 128 रकबा 0.07 है0 किस्म चारागाह में से 0.04 है0 पर पुख्ता मकान टीन शैड व चारदिवारी बना कर अतिक्रमण कर रखा है। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट का उक्त भूमि खसरा नम्बर 128 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ग्राम बामनवास में स्थित आबादी भूमि खसरा नम्बर 127 पर आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.10.2009 में अंकित किया हुआ है कि "ग्राम बामनवास में बनवारीलाल पुत्र गणेशनारायण जाति ब्राहमण का आवासीय मकान खसरा नम्बर 127 रकबा 0.26 है0 में स्थित है। जो बामनवास के आबादी में स्थित है, जिसकी किस्म गै.मु.बाड़ा है।" पत्रावली पर नोटिस दिनांक 08.09.2009 के सलंग्न मौका नक्शा की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रति उपलब्ध है जिसमें बनवारीलाल पुत्र गणेशराम शर्मा निवासी बामनवास के आवासीय मकान का मौका नक्शा दर्शाया गया है। उक्त मौका नक्शा के दक्षिण दिशा में जुगलकिशोर की कब्जा शुदा भूमि व बाड़ा अंकित किया हुआ है। चूंकि ग्राम पंचायत दूधवालों का बास द्वारा पट्टा संख्या 2554 क्रमांक 26 दिनांक 21.10.2009 प्रार्थीगण/अपीलांट के पिता बनवारीलाल के नाम से जारी किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलांट के पिता का आवासीय मकान खसरा नम्बर 127 रकबा 0.26 है0 में स्थित होना बताया है, और दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट इसी आधार पर अपना आवासीय मकान भी खसरा नम्बर 127 पर होना बता रहे है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर यह जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला के द्वारा अतिक्रमण के सम्बंध में पूर्ण जांच व सीमाज्ञान कराये बिना ही अपना निर्णय दिनांक 15.04.2019 पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार खण्डेला को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अतिक्रमित भूमि के सम्बंध में पुनः सीमाज्ञान कर स्पष्ट स्थिति के साथ समस्त तथ्यों की जांच की जाकर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official